

प्रेस नोटसंख्या- 10

दिनांक 10.01.2026

सराहनीय कार्यअमेठी पुलिस

थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा, नामजद शातिर हिस्ट्रीशीटर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 07.01.2026 को थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी अन्तर्गत गोमती नदी में रमेश पुत्र मातादीन निवासी पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी का शव मिला था । मृतक की पत्नी द्वारा थाना बाजार शुक्लपरतहरीर देकरमु0अ0सं0 03/26 धारा 103(1), 238बीएनएस बनाम जंगबहादुर उर्फ जंगू पुत्र राम नरेश नि0 पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी व अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.01.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 विवेक वर्मा थानाध्यक्ष बाजार शुक्ल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 03/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी में वांछित व प्रकाश में आये 03 अभियुक्त 1.जंगबहादुर उर्फ जंगू पुत्र राम नरेश नि0 पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 50 वर्ष, 2.सुग्रीव पुत्र राम समुझ उम्र करीब 42 वर्ष, 3.दीपक पुत्र सतगुरु उम्र करीब 27 वर्ष निवासीगण फजलपुर थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त जंगबहादुर उर्फ जंगू एक शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद अमेठी, बाराबंकी, सुलतानपुर व जौनपुर में हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि विभिन्न धाराओं में पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं । थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 06.01.2026 को वह लोग ग्राम पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ में नौटंकी कार्यक्रम देखने गये थे ।वहीं तीनों लोग मिलकर रमेश से पूर्व में हुए विवाद का बदला लेने की योजना बनाई थी । योजना के अनुसार दीपक द्वारा गांव से दूर नदी के किनारे ले जाकर रमेश को शराब पिलाई जा रही थी तभी पीछे से जंगबहादुर व सुग्रीव पहुंचकर रमेश के सिर पर शराब की बोतल से मार दिये, जिससे मौके पर ही रमेश की मृत्यु हो गयी । उसके बाद वह लोग रमेश के शव को गोमती नदी में फेंककर भाग गये थे ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जंगबहादुर उर्फ जंगू पुत्र राम नरेश नि० पूरे मल्लाहन मजरे खेममऊ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी उम्र करीब 50 वर्ष ।
2. सुग्रीव पुत्र राम समुझनि० फजलपुर थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 42 वर्ष ।
3. दीपक पुत्र सतगुरु नि० फजलपुर थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 27 वर्ष ।

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 03/26 धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री वेवेक वर्मा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० चन्द्रशेखर यादव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० सत्य प्रकाश तिवारी थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
4. हे०का० रमेश चन्द्र यादव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
5. का० अमित वर्मा थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
6. का० भूपेन्द्र सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
7. का० जंगबहादुर यादव थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।

### अभियुक्त जंगबहादुर उर्फ जंगू पुत्र राम नरेश का आपराधिक इतिहास- (H.S.- 40A)

1. मु०अ०सं० 152/01 धारा 60(1) आब० अधि० थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
2. मु०अ०सं० 666/03 धारा 364 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
3. मु०अ०सं० 118/05 धारा 305, 397,412 भादवि थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी ।
4. मु०अ०सं० 119/05 धारा 147, 148, 307 भादवि थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी ।
5. मु०अ०सं० 304/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० 366/05 धारा 364 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 52/07 धारा 379, 411 भादवि थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर ।
8. मु०अ०सं० 54/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरामऊ जनपद जौनपुर ।
9. मु०अ०सं० 1014/07 धारा 307, 323 भादवि थाना जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर ।
10. मु०अ०सं० 269/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
11. मु०अ०सं० 846/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।
12. मु०अ०सं० 74/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी ।